न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुरजा जिला बुलन्दशहर।

सत्रवाद संख्या : 213 सन् 2004

सरकार बनाम प्रेमपाल आदि।

दिनांकः 19.10.2021:

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण प्रेमपाल व दिनेश उर्फ अवनीश की मृत्यु आख्या थाना पहासू क्रमशः दिनांकित 26.07.2021 व 12.08.2021 एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाणपत्र अभियुक्तगण प्रस्तुत हुए। साक्षी सी0डब्लू01 **एस.आई. सतेन्द्र कुमार** हाल तैनात बी.बी. नगर द्वारा दी गई साक्ष्य अनुसार दिनांक **12.08.2021** को वह अभियुक्त **दिनेश उर्फ अवनीश** की मृत्यु के सम्बन्ध में उसके घर वेदरामपुर गये और उसके परिजनो से अभियुक्त के नाम की जानकारी की तो उसके परिजनो ने बताया कि उसका नाम विनेशपाल सिंह है, उसे अवनीश भी कहते है। उन्होंनें उसे अभियुक्त की मृत्यु का मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया, जिसमें उसका नाम विनेशपाल सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी वेदरामपुर पोस्ट पहासू तहसील शिकारपुर जिला बुलन्दशहर अंकित है। जिसमें मृत्यु का दिनांक **29.01.2017** अंकित है। अभियुक्त की मृत्यु के सम्बन्ध में उसने मृत्यु रिपोर्ट प्रेषित की, जिस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। जो आज पत्रावली पर पेपर संख्या **160ए1** मौजूद है, इस पर प्रदर्श **ख–1** तथा **मृत्यु प्रमाणपत्र** पर प्रदर्श **ख–2** डाला गया।

साक्षी सी0डब्लू01 **एस.आई. सतेन्द्र कुमार** हाल तैनात बी.बी. नगर द्वारा दी गई साक्ष्य में आगे कहा गया है कि उसने उसी दिन अभियुक्त **प्रेमपाल** पुत्र मुंशी निवासी वेदरामपुर थाना पहासू जिला बुलन्दशहर की मृत्यु के सम्बन्ध में उसके घर जाकर जानकारी की तो उसे उसके परिजनो ने अभियुक्त प्रेमपाल सिंह पुत्र मुंशीलाल निवासी वेदरामपुर का प्रमाणपत्र दिया, जिसमें उसकी मृत्यु का दिनांक **09.10.2013** अंकित है, जिसको उसने पत्रावली पर दाखिल किया। जिसके सम्बन्ध में उसने लिखित आख्या पर अपने हस्ताक्षर कर दिनांक 12.08.2021 को प्रस्तुत की थी, जो पत्रावली पर पेपर संख्या **162ए/1** मौजूद है, इस पर प्रदर्श **ख–3** तथा मृत्यु प्रमाणपत्र पेपर संख्या **163ए/1** पर प्रदर्श **ख–4** डाला गया।

चूँकि अभियुक्तगण **प्रेमपाल व दिनेश उर्फ अवनीश** की मृत्यु हो चुकी है। अतः अभियुक्तगण **प्रेमपाल व दिनेश उर्फ अवनीश** के विरूद्ध वाद उपशमित (अवेट) करते हुए वाद की कार्यवाही **समाप्त** की जाती है। पत्रावली वास्ते **शेष सफाई साक्ष्य** पूर्व से नियत दिनांक **26.10.2021** को पेश हो। शेष अभियुक्तगण के अधिवक्ता उपस्थित है।

दिनांकः **19.10.2021**

अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।